कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दमोह (म.प्र.)

—:: आदेश ::—

क्रमांक—339 / दो—12—12 / 2019 दमोह, दिनांक 18. अगस्त, 2025

मध्यप्रदेश जिला न्यायालय स्थापना (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) नियम 2016 में वर्णित पदोन्नति संबंधी सुसंगत प्रावधान अनुसार एवं स्थापना पर गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा दिनांक 18.08.2025 को अनुमोदित करते हुए, स्थापना पर कार्यरत दफ्तरी / रिकार्ड सप्लायर / जमादार से आदेशिका वाहक के रिक्त पद वेतनमान 5200—20200+1800 / — ग्रेडपे (मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत लेवल—3 वेतनमान 18000—56900 / —) में पदभार ग्रहण करने के दिनांक से, दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर, अस्थायी व स्थानापन्न रूप से निम्नानुसार शासकीय सेवकों को पदोन्नत किया जाता है :—

स. क.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	पदोन्नति का पद	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती जैतून बी मंसूरी (जमादार)	आदेशिका वाहक	श्री रेहान अहमद, आदेशिका वाहक की दिनांक 30.06.2025 को दोपहर पश्चात् अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त होने के कारण

टीप—1. पदोन्नत शासकीय सेवक, पदोन्नति के पद पर पदभार ग्रहण करने के दिनांक से एक माह के भीतर, निर्धारित प्रारूप पर वेतन निर्धारण हेतु विकल्प, इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं।

2. उक्त आदेश पदोन्नति संबंधी है, स्थानांतरण संबंधी आदेश पृथक से जारी किया जावेगा।

18.8.25

प्रधान जिला एव सत्र न्यायाधीश
दमोह (म.प्र.)

पृष्ठां.क.—2079 / दो—12—12 / 2019 दमोह, दिनांक 18. अगस्त 2025

प्रतिलिपि :—

1— प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय दमोह
2— जिला कोषालय अधिकारी, दमोह
3— श्रीमती जैतून बी मंसूरी, जमादार कुटुम्ब न्यायालय दमोह
4— प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग दमोह
5— लेखापाल / वेतन—ऐरियर्स लिपिक / पेंशन लिपिक / ऑफिस मोहर्रिर / एच.एम.आर.एस. लिपिक / ऑफिस टाईपिस्ट कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दमोह की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
6— जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दमोह की ओर जिला न्यायालय दमोह की अधिकृत वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु पालनार्थ प्रेषित।

प्रधान जिला एव सत्र न्यायाधीश
दमोह (म.प्र.)

o/c